



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन , 1943 (श०)

संख्या-474 राँची, गुरुवार,

23 सितम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

9 सितम्बर, 2021

संख्या-5/आरोप-1-49/2019-16665 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अनिल कुमार यादव, झांझार (प्रथम बैच, गृह जिला-गोड्डा), तत्कालीन उप नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम के विरुद्ध वर्ष 2016-17 में मे० व्योम टेक्नोलॉजी लि० के द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्रियों की गुणवत्ता एवं मात्रा का सत्यापन किए बगैर जल्दीबाजी में भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करने, सरकारी राशि रु० 2,65,04,668.00 का दुरुपयोग होने, संवेदक से राशि वसूली का प्रयास नहीं करने, संवेदक पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने तथा सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण करने संबंधी आरोप, जैसा कि नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2339, दिनांक 11.06.2019 द्वारा गठित संलग्न प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः श्री यादव के विरुद्ध आरोप-पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री यादव को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

4. श्री यादव द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री रामाकांत सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

5. श्री यादव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु उप नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANIL KUMAR YADAV JHK/JAS/128	श्री अनिल कुमार यादव, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला-गोड्डा), तत्कालीन उप नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम के विरुद्ध आरोप-पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
